Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

जनवरी 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

22/01/2024 से 28/01/2024 तक

दिल्ली कार्यालय
706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

नोएडा कार्यालय
बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर प्रदेश - 201301

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	डाकघर विधेयक 2023	1 - 9
2.	राजकोषीय समेकन : प्रत्यक्ष कर – संग्रह लक्ष्य की ओर बढ़ता भारत और मजबूत राजस्व – प्रणाली	9 - 15
3.	भारत में सामाजिक – आर्थिक असमानता का विश्लेषण	15 - 19
4.	नरसंहार का मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय	20 - 26

करंट अफेयर्स जनवरी 2024

डाकघर विधेयक 2023

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डाकघर विधेयक 2023 सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
खबरों में क्यों ?

- डाकघर विधेयक 2023 राज्य सभा में पेश हुआ – 10 अगस्त 2023 और राज्य सभा से यह विधेयक पास /पारित हुआ – 04 दिसम्बर 2023. लोकसभा में पास / पारित हुआ – 18 दिसंबर 2023.
- 24 दिसंबर, 2023 को, भारत के राष्ट्रपति ने डाकघर विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की जगह लेगा।
- संसद में बहस के दौरान, विपक्ष ने डाकघर अधिकारियों द्वारा किसी भी वस्तु के अवरोधन की अनियंत्रित शक्तियों पर प्रावधान के बारे में आशंका व्यक्त की, जिसमें अवरोधन की शर्तें भी शामिल हैं।
- इस अधिनियम में अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से उपयोग या अवरोधन की शक्ति का दुरुपयोग होने की स्थिति में किसी भी दायित्व को रोकने के लिए कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं हैं। मौजूदा डाकघर अधिनियम में अवरोधन की बेलगाम शक्तियाँ हैं।

- **24 दिसंबर को, दूरसंचार विधेयक, 2023 को भी राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, जो दो केंद्रीय अधिनियमों भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 का स्थान लेगा।**

- दूरसंचार अधिनियम में संदेशों के अवरोधन पर एक प्रावधान है, यानी धारा 20(2), जो 1885 के टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के समान है, सिवाय इसके कि 1885 के अधिनियम की धारा 7(2)(बी) की सामग्री जो केंद्र सरकार को संदेशों के अनुचित अवरोधन या प्रकटीकरण को रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर नियमों को अधिसूचित करने का अधिकार देती है, अब धारा 20(2) में शामिल की गई है।

- इसके तहत जब तक ऐसी प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय निर्धारित नहीं किए जाते, धारा 20(2) को अमल में नहीं लाया जा सकता। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यद्यपि 1885 के अधिनियम में नियम बनाने का प्रावधान था, किन्तु प्रासंगिक नियम (धारा 419ए) को मार्च 2007 में ही अधिसूचित किया गया था।

- यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लेगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार सरकार, सुरक्षा सहित विशेष कारणों से डाक से भेजी गई किसी भी सामग्री को जांच के लिए रोक सकती है।

- डाकघर विधेयक-2023' को देश में डाक सेवा नेटवर्क में और अधिक विस्तार देने के लिए लाया गया है।

- इसका उद्देश्य नागरिक-केंद्रित सेवा नेटवर्क में भारतीय डाक के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए विधायी ढांचे को सरल बनाना है।

डाकघर विधेयक की पृष्ठभूमि :

- **डाक सेवाएँ संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आती हैं।** भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली डाक सेवाओं को नियंत्रित करता है। यह केंद्र सरकार को पत्रों के संप्रेषण पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है। डाक सेवाएँ विभागीय उपक्रम इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

- वर्तमान विधेयक से पूर्व भी इसी तरह का एक भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 में पेश किया गया था। विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और दिसंबर 1986 में राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया था। हालांकि, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने न तो इस बिल पर अपनी सहमति ही दी और न ही उस बिल को वापस ही लौटाया। जुलाई 1987 में उनके पद छोड़ने तक विधेयक संसद में रखा गया। बाद में, राष्ट्रपति वेंकटरमन ने जनवरी 1990 में इसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया, और विधेयक को 2002 में वाजपेयी सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। 2002 में जो विधेयक पेश किया गया था और जिसे स्थायी समिति को भेजा गया था। उस अधिनियम के तहत निजी कूरियर सेवाओं को विनियमित करने के लिए संशोधन शामिल थे। अंततः विधेयक समाप्त हो गया। 2006 और 2011 में, मसौदा विधेयक जारी किए गए थे, जिसमें अधिनियम के तहत निजी कूरियर सेवाओं को विनियमित करने के लिए संशोधन का भी प्रस्ताव था। हालांकि, संबंधित विधेयक संसद में पेश नहीं किए गए थे। 2017 में, केंद्र सरकार को टैरिफ तय करने की शक्ति सौंपने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था। पहले यह शक्ति संसद के पास ही थी । हाल ही में, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 ने इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों और दंडों को हटा दिया गया है।

डाक विभाग का सराहनीय कदम :

- संचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि डाक विभाग अंत्योदय की अवधारणा को पूरा करने की दिशा में सराहनीय काम कर रहा है। अब इसकी भूमिका बदल गई है और उसके अनुसार बदलाव भी आवश्यक हैं। डाक विभाग अब बैंकिंग और अन्य सेवायें प्रदान कर रहा है। विधेयक में बदलाव इस दिशा में सहायक होंगे।

डाकघर में आए महत्वपूर्ण बदलाव :

- वर्तमान समय में अब डाक सेवाएँ, डाकघर और डाकिए केवल पत्राचार तक सीमित नहीं है बल्कि सेवा मुहैया कराने वाले संस्थान में बदल गए हैं। इन सालों में डाकघर एक तरह से बैंक बन गए हैं।

देश में संचार के क्षेत्र में डाक विभाग देश की रीढ़ :

- 150 से अधिक वर्षों से, डाक विभाग देश की रीढ़ है। इसने देश में संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कई अर्थों में भारत के आम नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे मेल डिलीवर करना, लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा (PLI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करना और बिल जैसी रिटेल सेवाएं प्रदान करना संग्रह, प्रपत्रों की बिक्री, इत्यादि।
- **भारतीय डाक विभाग भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) वेतन वितरण और वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसे नागरिकों के लिए अन्य सेवाओं के निर्वहन में भारत सरकार के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। करीब 1,55,531 डाक घरों के साथ, डाक विभाग दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क है।**

विधेयक की मुख्य बातें :

- यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लेता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार के एक विभागीय उपक्रम, इंडिया पोस्ट को नियंत्रित करता है।
- सरकार को पत्र संप्रेषित करने का विशेष विशेषाधिकार नहीं होगा। भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ नियमों के अंतर्गत निर्धारित की जाएंगी।
- डाक सेवाओं के महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। उसके पास सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने की शक्तियां होंगी।
- सरकार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रसारित किसी लेख को रोक सकती है।
- भारतीय डाक अपनी सेवाओं के संबंध में नियमों के माध्यम से निर्धारित किसी भी दायित्व को छोड़कर, कोई दायित्व नहीं उठाएगा।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण :

- भारतीय डाक विधेयक के माध्यम से प्रेषित लेखों की रोकथाम के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं करता है। सुरक्षा उपायों की कमी से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
- अवरोधन के आधार में **'आपातकाल'** शामिल है, जो संविधान के तहत उचित प्रतिबंधों से परे हो सकता है।
- विधेयक भारतीय डाक को डाक सेवाओं में चूक के लिए दायित्व से छूट देता है। उत्तरदायित्व केंद्र सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, जो भारतीय डाक का प्रशासन भी करती है। इससे आपसी हितों का टकराव हो सकता है.।
- इस विधेयक में किसी अपराध और दंड का उल्लेख नहीं है। उदाहरण के लिए – किसी डाक अधिकारी द्वारा डाक लेखों को अनाधिकृत रूप से खोलने पर कोई परिणाम नहीं होता है। इससे **उपभोक्ताओं की निजता के अधिकार** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित लेखों का अवरोधन :

डाकघर विधेयक, 2023 सरकार को निम्नलिखित आधारों पर पोस्ट के माध्यम से प्रसारित किसी लेख को रोकने का अधिकार देता है: –

(I) राज्य की सुरक्षा,

(II) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,

(III) सार्वजनिक व्यवस्था,

(IV) आपातकाल,

(V) सार्वजनिक सुरक्षा,

(VI) विधेयक या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन।

डाकघर विधेयक 2023 की प्रमुख विशेषताएँ :

- **केंद्र सरकार को विशेष विशेषाधिकार:** इस अधिनियम में प्रावधान है कि जहां भी केंद्र सरकार कोई भी पद स्थापित करती है, उसे डाक द्वारा पत्र भेजने के साथ-साथ पत्र प्राप्त करने, एकत्र करने, भेजने और वितरित करने जैसी आकस्मिक सेवाओं का विशेष विशेषाधिकार होगा। विधेयक ऐसे विशेषाधिकारों का प्रावधान नहीं करता है। अधिनियम निर्धारित नियमों के अनुसार डाक टिकट जारी करने का प्रावधान करता है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि भारतीय डाक को डाक टिकट जारी करने का विशेष विशेषाधिकार होगा।

- **निर्धारित की जाने वाली सेवाएँ:** यह अधिनियम भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को निर्दिष्ट करता है, जिसमें शामिल हैं – **(i) पत्र, पोस्टकार्ड और पार्सल सहित डाक लेखों की डिलीवरी, और (ii) मनी ऑर्डर। विधेयक में प्रावधान है कि भारतीय डाक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सेवाएं प्रदान करेगा।**

- **महानिदेशक को सेवाओं के संबंध में नियम बनाने होंगे :** यह विधेयक डाक सेवाओं के महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अधिनियम के तहत, महानिदेशक के पास डाक सेवाओं की डिलीवरी का समय और तरीका तय करने की शक्तियां हैं। विधेयक में प्रावधान है कि महानिदेशक डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी गतिविधि के संबंध में नियम बना सकते हैं। वह सेवाओं के लिए शुल्क, और डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री के संबंध में नियम भी बना सकता है।

- **डाक लेखों को रोकने की शक्तियाँ:** यह अधिनियम कुछ आधारों पर डाक के माध्यम से प्रेषित किसी लेख को रोकने की अनुमति देता है। किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में, या सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में अवरोधन किया जा सकता है। इस तरह के अवरोधन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या उनके द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए जा सकते हैं। किसी रोके गए सामग्री / शिपमेंट को प्रभारी अधिकारी द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है या उसका निपटान किया जा सकता है। अधिकारी के पास अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत निषिद्ध वस्तुओं को ले जाने वाले सामग्री/शिपमेंट को खोलने, हिरासत में लेने या नष्ट करने की भी शक्तियां प्रदान किया गया हैं।

- इस विधेयक में यह प्रावधान है कि डाक के माध्यम से प्रेषित किसी लेख को निम्नलिखित आधारों पर रोका जा सकता है – **(i) राज्य की सुरक्षा, (ii) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, (iii) सार्वजनिक व्यवस्था, (iv) आपातकाल , (v) सार्वजनिक सुरक्षा, या (vi) विधेयक या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन।** एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी अवरोधन को अंजाम दे सकता है।

- **कानून के तहत निषिद्ध या शुल्क के लिए उत्तरदायी डाक लेखों की जांच :** इस अधिनियम के तहत, एक प्रभारी अधिकारी एक डाक लेख की जांच कर सकता है। यदि उसे संदेह है कि इसमें ऐसे सामान हैं जो निषिद्ध हैं, या शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। विधेयक परीक्षा की शक्तियों को हटा देता है। इसके बजाय यह प्रदान करता है कि ऐसे मामलों में, केंद्र सरकार भारतीय डाक के एक अधिकारी को सीमा शुल्क प्राधिकरण या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को डाक लेख वितरित करने का अधिकार दे सकती है। इसके बाद प्राधिकरण संबंधित वस्तु से निपटेगा।

- **दायित्व से छूट :** यह अधिनियम सरकार को डाक वस्तु के नुकसान, गलत डिलीवरी, देरी या क्षति से संबंधित किसी भी दायित्व से छूट देता है। यह वहां लागू नहीं होता जहां दायित्व केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट शब्दों में लिया जाता है। अधिकारियों को भी ऐसे दायित्व से छूट दी गई है जब तक कि उन्होंने धोखाधड़ी या जानबूझकर कार्य नहीं किया हो। विधेयक इन छूटों को बरकरार रखता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार नियमों के तहत इंडिया पोस्ट की सेवाओं के संबंध में दायित्व निर्धारित कर सकती है।

- **अपराधों और दंडों को हटाना ;** इस अधिनियम में विभिन्न अपराधों और दंडों को निर्दिष्ट किया गया है, जिनमें से सभी को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए – डाक के अधिकारी द्वारा डाक लेखों की चोरी, हेराफेरी, या डाक कार्यालय किसी वास्तु के नष्ट करने पर सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था। कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं को डाक के माध्यम से भेजने पर एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडनीय था। विधेयक एक को छोड़कर किसी भी अपराध या परिणाम का

प्रावधान नहीं करता है। उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

कूरियर सेवाओं से भिन्न डाक सेवाओं का विनियमन :

- वर्तमान में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा समान डाक सेवाओं के विनियमन के लिए अलग-अलग रूपरेखाएँ हैं। भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 पत्र भेजने पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापित करता है। निजी कूरियर सेवाएँ वर्तमान में किसी विशिष्ट कानून के तहत विनियमित नहीं हैं। इससे कुछ प्रमुख अंतर पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए – 1898 का अधिनियम भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित लेखों को रोकने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। निजी कूरियर सेवाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर उपभोक्ता संरक्षण ढांचे के अनुप्रयोग में है। 1898 का अधिनियम सरकार को सेवाओं में किसी भी चूक के लिए दायित्व से छूट देता है, सिवाय इसके कि जब ऐसी देनदारी स्पष्ट शब्दों में की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधि-नियम, 2019 इंडिया पोस्ट की सेवाओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह निजी कूरियर सेवाओं पर लागू होता है। डाकघर विधेयक, 2023 डाक अधिनियम 1898 को बदलने की मांग करते हुए, इन प्रावधानों को बरकरार रखता है।

पासपोर्ट सेवाओं और आधार नामांकन सेवाओं को मिलेगी कानूनी रूपरेखा :

- यह पासपोर्ट सेवाओं और डाक विभाग द्वारा संचालित आधार नामांकन सेवाओं को एक कानूनी रूपरेखा प्रदान करेगा। इस समय डाकघर बचत बैंक में 26 करोड़ से अधिक खाते हैं, जिनमें 17 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। भारतीय डाक देश के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इस विभाग में काफी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार के एक विभागीय उपक्रम भारतीय डाक का विनियमन करता है। उक्त विधेयक के तहत आपातकालीन अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अथवा किसी भी उल्लंघन की घटना पर केंद्र को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने अथवा हिरासत में लेने एवं सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने का अधिकार दिया गया है ।

समाधान / आगे की राह :

मज़बूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल करना :

- भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित लेखों की रोकथाम के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रावधान होना चाहिए। इसमें भाषण (वाक) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की निजता के अधिकार की रक्षा हेतु निरीक्षण तंत्र, न्यायिक वारंट तथा संवैधानिक सिद्धांतों का पालन शामिल होना चाहिए।
- डाक अधिकारियों द्वारा डाक लेखों को अनाधिकृत रूप से खोलने को संबोधित करते हुए, विधेयक के भीतर विशिष्ट अपराधों और दंडों को फिर से प्रस्तुत करना। उपभोक्ताओं की निजता के अधिकार की सुरक्षा के लिये एक कानूनी ढाँचा स्थापित करना जो व्यक्तियों को कदाचार, धोखाधड़ी, चोरी तथा अन्य अपराधों हेतु ज़िम्मेदार ठहराए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

'आपातकाल' का आधार संविधान के तहत अनुमत उचित प्रतिबंधों से परे नहीं हो सकता है :

- विधेयक 'आपातकाल' के आधार पर डाक लेखों को रोकने की अनुमति देता है। 1898 के अधिनियम में अवरोधन के लिए 'सार्वजनिक आपातकाल' का समान आधार है। विधि आयोग (1968) ने 1898 अधिनियम की जांच करते समय पाया था कि आपातकाल शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, और इस प्रकार यह अवरोधन के लिए बहुत व्यापक आधार प्रदान करता है। यह भी देखा गया कि डाक लेखों का अवरोधन कुछ मामलों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है, जैसे कि इसमें पत्र, किताबें, पोस्ट-कार्ड और समाचार पत्र शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक आपातकाल अवरोधन के लिए संवैधानिक रूप से स्वीकार्य आधार नहीं हो सकता है, अगर यह राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या संविधान में निर्दिष्ट किसी अन्य आधार को प्रभावित नहीं करता है।

सुप्रीम कोर्ट (2015) ने माना है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के मनमाने आधार असंवैधानिक हैं।

सेवाओं में चूक के लिए उत्तरदायित्व तय होनी चाहिए :

- विधेयक में कहा गया है कि किसी भी अन्य कानून के लागू होने के बावजूद, इंडिया पोस्ट द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में इंडिया पोस्ट कोई दायित्व नहीं लेगा। हालाँकि, केंद्र सरकार नियमों के माध्यम से किसी सेवा के संबंध में दायित्व निर्धारित कर सकती है। प्रश्न यह है कि क्या विधेयक में स्वयं दायित्व का प्रावधान होना चाहिए। इस तथ्य की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है ।
- 1898 अधिनियम के आवेदन की जांच करते समय, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (2023) ने माना था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सरकार द्वारा दी जाने वाली डाक सेवाओं पर लागू नहीं होता है। विधेयक 1898 अधिनियम के तहत दायित्व के संबंध में प्रावधानों को बरकरार रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय डाक की डाक सेवाओं के उपभोक्ताओं के अधिकारों को पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है, जो भारतीय डाक का प्रशासन भी करती है। इससे हितों का टकराव हो सकता है.।
- विधेयक के तहत रूपरेखा रेलवे के मामले में लागू कानून के विपरीत है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वाणिज्यिक सेवा भी है। रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 भारतीय रेलवे के खिलाफ सेवाओं में खामियों की शिकायतों के निपटान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना करता है। इनमें माल की हानि, क्षति, या गैर-डिलीवरी, और किराए या माल ढुलाई की वापसी जैसी शिकायतें शामिल हैं।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सभावना :

- प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। विधेयक में डाक लेखों के अवरोधन के खिलाफ कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्दिष्ट नहीं किया गया है। **इससे निजता के अधिकार और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है।** दूरसंचार अवरोधन के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय (1996) ने माना कि अवरोधन की शक्ति को विनियमित करने के लिए एक उचित और उचित प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए। अन्यथा, अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में निजता का अधिकार) के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना संभव नहीं है। इसे संबोधित करने के लिए, न्यायालय ने कई सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया था, जिनमें शामिल हैं: (i) अवरोधन की आवश्यकता स्थापित करना, (ii) अवरोधन आदेशों की वैधता को सीमित करना, (iii) उच्च-रैंकिंग अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण, और (iv) अवरोधन आदेश वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों की अध्यक्षता वाली एक समीक्षा समिति द्वारा जांच की जाएगी।

सभी अपराधों और दंडों को हटाना अनौचित्य :

- डाक विधेयक (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 ने 1898 अधिनियम के तहत सभी अपराधों और दंडों को हटा दिया। इनमें डाकघर के अधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न अपराध शामिल थे। विधेयक इस स्थिति को बरकरार रखता है, यानी, यह किसी भी अपराध और दंड का प्रावधान नहीं करता है। प्रश्न यह है कि क्या यह उचित है ? केन्द्र सरकार को इस और भी ध्यान देने की जरूरत है ।

- वर्तमान विधेयक से पूर्व के अधिनियम के तहत, किसी डाक अधिकारी द्वारा डाक लेखों को अवैध रूप से खोलने पर दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों रूपों से दंडनीय था। डाक अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी मेल बैग खोलने के लिए दंडित किया गया था। इसके विपरीत, डाक विधेयक 2023 के तहत ऐसे कार्यों के खिलाफ कोई परिणाम नहीं होगा। इससे व्यक्तियों की निजता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। डाक सेवाओं से संबंधित विशिष्ट उल्लंघन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) जैसे अन्य कानूनों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। आईपीसी ऐसे अपराधों को केवल तभी दंडित करता है जब चोरी या हेराफेरी (धारा 403 और 461) के साथ हो।

परिणामों पर स्पष्टता का अभाव :

- विधेयक में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी इंडिया पोस्ट द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में कोई दायित्व नहीं लेगा। यह छूट वहां लागू नहीं होगी जहां अधिकारी ने धोखाधड़ी से काम किया हो या जानबूझकर सेवा की हानि, देरी या गलत डिलीवरी की हो। हालाँकि, विधेयक में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि यदि कोई अधिकारी ऐसा कृत्य करता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। जन विश्वास अधिनियम के तहत संशोधन से पहले, 1898 अधिनियम के तहत, इन अपराधों के लिए दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती थी।

इंडिया पोस्ट को वित्तीय सहायता :

- विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि विधेयक को लागू करने से भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या गैर-आवर्ती व्यय नहीं होगा। हालाँकि, भारतीय डाक लगातार घाटे में रही है, जिसे भारत की समेकित निधि द्वारा समायोजित और संरक्षित किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. डाक विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. डाकघर विधेयक-2023' को देश में डाक सेवा नेटवर्क को सीमित एवं कटौती करने के लिए लाया गया है।
2. डाकघर विधेयक-2023 को लागू करने में भारत की संचित निधि से नहीं , बल्कि भारत की समेकित निधि द्वारा व्यय किया जाता है ।
3. यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लेता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार के एक विभागीय उपक्रम, इंडिया पोस्ट को नियंत्रित करता है।
4. डाकघर विधेयक, 2023 औपनिवेशिक युग के भारतीय डाकघर अधिनियम, 1998 की जगह लेगा।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 , 2 और 3

(B) केवल 2 , 3 और 4

(C) केवल 1 और 4

(D) केवल 2 और 3

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. डाकघर विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह विधेयक किस प्रकार व्यक्ति के 'भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और 'निजता का अधिकार' जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है ?

राजकोषीय समेकन : प्रत्यक्ष कर – संग्रह लक्ष्य की ओर बढ़ता भारत और मजबूत राजस्व – प्रणाली

स्त्रोत्र – द हिन्दू , आर्थिक सर्वेक्षण 2022 – 23, बजट 2023 – 24 एवं पीआईबी।
सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, प्रत्यक्ष कर, राजकोषीय घाटे का सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू , राजकोषीय समेकन।

ख़बरों में क्यों ?

- अभी वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक चौथाई से भी कम समय बचा है, किन्तु फिर भी केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में ही अपने प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य का लगभग **81%** पूरा कर लिया है। 10 जनवरी 2024 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के मुकाबले 14.7 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर प्रवाह एक साल पहले की तुलना में 19.4% अधिक है।
- राजस्व विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकारी खजाने की शुद्ध प्रत्यक्ष कर राशि बजट अनुमान ₹17.2 लाख करोड़ से लगभग एक लाख करोड़ से अधिक हो जाएगी और इस बार पूरे वर्ष की वृद्धि दर लगभग

18% रहेगी।

- वस्तु एवं सेवा कर – संग्रह प्रवाह के भी बजट गणित को मात देने की संभावना है और केंद्रीय बैंक के उदार लाभांश से गैर-कर राजस्व को बढ़ावा मिलेगा, उत्पाद शुल्क से अपेक्षाकृत कम खपत के बावजूद कुल राजस्व बजट की उम्मीदों से परे जाने की संभावना है।
- प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, कॉर्पोरेट करों में 12.4% की वृद्धि हुई है, जबकि व्यक्तिगत आय करों से 27.3% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है और यह विरोधाभास आने वाले वर्षों में भी जारी रह सकता है। इस मूल्यांकन वर्ष में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या रिकॉर्ड स्तर (31 दिसंबर तक 8.2 करोड़) तक पहुंच जाएगी। .
- स्वस्थ राजस्व वृद्धि और कर दाखिल करने के आधार का सराहनीय विस्तार सरकार की राजकोषीय समेकन की उम्मीदों को आगे बढ़ने में कुछ राहत प्रदान करता है, इस आशंका के बीच कि इस वर्ष सकल – घरेलू उत्पाद का 5.9% घाटा लक्ष्य में एक छोटा सा अंतर रह सकता है।
- यह कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों के लिए इसे और अधिक सरल बनाने पर ध्यान देने के साथ केंद्र के लिए कराधान में और अधिक सुधार करने की गुंजाइश भी बनाता है। उदाहरण के लिए – कंपनियों के लिए अनेक विदहोल्डिंग कर – दरें, जो अक्सर विवादों का कारण बनती हैं, को एक नहीं तो कुछ कम दरों तक कम किया जा सकता है।
- कर – कटौती और स्रोत पर संग्रह (टीडीएस और टीसीएस) दरों, जिसमें विदेशी खर्चों पर नज़र रखने के लिए बहु-विवादित लेवी भी शामिल है, को कुछ हद तक नीचे लाया जा सकता है और मौजूदा कर – दरों के बावजूद – कर अधिकारी उनसे खुफिया जानकारी प्राप्त करना जारी रख सकते हैं।
- कम – दरों और कागजी कार्रवाई के साथ नई छूट-रहित व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का चलन बढ़ रहा है। फिर भी, सरकार लोगों को सार्वजनिक नीति लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर जीवन विकल्पों के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ तंत्रों पर विचार कर सकती है जो वित्तीय बाजारों को भी गहरा कर सकते हैं और मैक्रो-बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत कर सकते हैं – उदाहरण के लिए सेवानिवृत्ति बचत और स्वास्थ्य बीमा को प्रोत्साहित करना।
- स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी लेवी पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए, भले ही जीएसटी दरों के व्यापक युक्तिकरण की प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि इसमें निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण लागत शामिल है, जिससे उनके एक सदस्य के लिए भी स्वास्थ्य देखभाल संकट का खर्च उन्हें गरीबी में जाने का वास्तविक जोखिम का सामना करना पड़ता हैं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि अंतरिम बजट 2024-25 में कोई शानदार कदम नहीं होगा, इसलिए 2019 के चुनाव पूर्व अभ्यास की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है कि आयकर स्लैब में फेरबदल किया जाए। लेकिन राजस्व उछाल से नीति – निर्माताओं को नई सरकार के विचार के लिए और अधिक सुधार विकल्प की ओर ध्यान रखने के लिए उत्साहित होना चाहिए।

उभरती अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय समेकन का महत्त्व :

- एक सरकार आमतौर पर **घाटे को कम करने के लिए कर्ज़ लेती है।** इसके बाद उसे कर्ज चुकाने के लिये अपनी कमाई का एक हिस्सा आवंटित करना होता है। राजकोषीय समेकन से तात्पर्य **राजकोषीय घाटे को कम करने के तरीकों और साधनों से है।** कर्ज़ बढ़ने के साथ ब्याज का बोझ बढ़ता है। वित्त वर्ष **2022 के बजट में 34.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल सरकारी व्यय में से 8.09 लाख करोड़ रुपए (लगभग 20%) से अधिक ब्याज के भुगतान में खर्च हो गया।**

केन्द्र सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन की दिशा में उठाए गए प्रमुख पहल :

सब्सिडी में कमी करना :

- केंद्र सरकार ने **भोजन, पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी हेतु आवंटित राशि को कम कर दिया** है।
- वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) में खाद्य सब्सिडी 2,87,194 करोड़ रुपए थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 में घटाकर 1,97,350 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी 2,25,220 करोड़ रुपए (अनुमानित) थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 में घटाकर 1,75,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में पेट्रोलियम सब्सिडी 9,171 करोड़ रुपए (अनुमानित) थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान) में घटाकर 2,257 करोड़ रुपए किया गया है।
- पिछले वर्ष की तुलना में सब्सिडी में कमी उतनी तीव्र नहीं है, लेकिन यह अब भी वर्ष 2025-26 तक 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तक पहुँचने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

सकल घरेलू उत्पाद के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना :

- वर्ष 2023-24 के बजट में **पूंजीगत व्यय** को **सकल घरेलू उत्पाद के 3.3%** तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है और सरकार ने **विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 50 वर्षों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया है।

ऋण प्रबंधन में बदलाव :

- अधिकांश राजकोषीय घाटे को आंतरिक बाज़ार ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और एक छोटा हिस्सा बचत, भविष्य निधि तथा बाहरी ऋण के बदले प्रतिभूतियों से आता है।
- वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में भारत का बाहरी ऋण कुल राजकोषीय घाटे का केवल 1% है, यह अनुमानतः 22,118 करोड़ रुपए है।
- **राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)** के 3.5% के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने के लिए स्व-तंत्र हैं, जिसमें 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए है।

राजकोषीय घाटा का तात्पर्य/ परिचय :

- किसी भी सरकार द्वारा प्राप्त कुल – राजस्व (उधार को छोड़कर) और उसके कुल – व्यय के बीच के अंतर को ' **राजकोषीय घाटा** ' कहा जाता है।
- इसे देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह एक संकेतक है जो दर्शाता है कि सरकार को अपने कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए किस सीमा तक उधार लेना चाहिए।

- **मुद्रा का मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति, ऋण स्तर में वृद्धि,** कर्ज़ के बोझ में वृद्धि का कारण बन सकता है।
- **कम राजकोषीय घाटा राजकोषीय प्रबंधन और सुचारू अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत होते हैं।**

भारत – सरकार के राजकोषीय नीति- निर्धारण के प्रमुख उपकरण का परिचय :

भारत सरकार के राजकोषीय नीति – निर्धारण के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित है –

सरकारी खर्च – सरकारी खर्च को समायोजित करके आर्थिक उत्पादन को प्रभावित किया जा सकता है। सरकारी व्यय में समुदाय के लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करना शामिल है, इसे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भविष्य में लाभ पैदा करने के उद्देश्य से अनुसंधान गतिविधियों, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च को सरकारी सकल पूंजी निर्माण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

स्थानांतरण भुगतान – इसका उपयोग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, छात्र अनुदान और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को सरकारी भुगतान का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

कर – कर एक राजकोषीय नीति उपकरण है क्योंकि करों में परिवर्तन औसत उपभोक्ता की आय को प्रभावित करता है, और उपभोग में परिवर्तन से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन होता है। इसलिए, करों को समायोजित करके सरकार आर्थिक उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। करों को कई तरीकों से बदला जा सकता है।

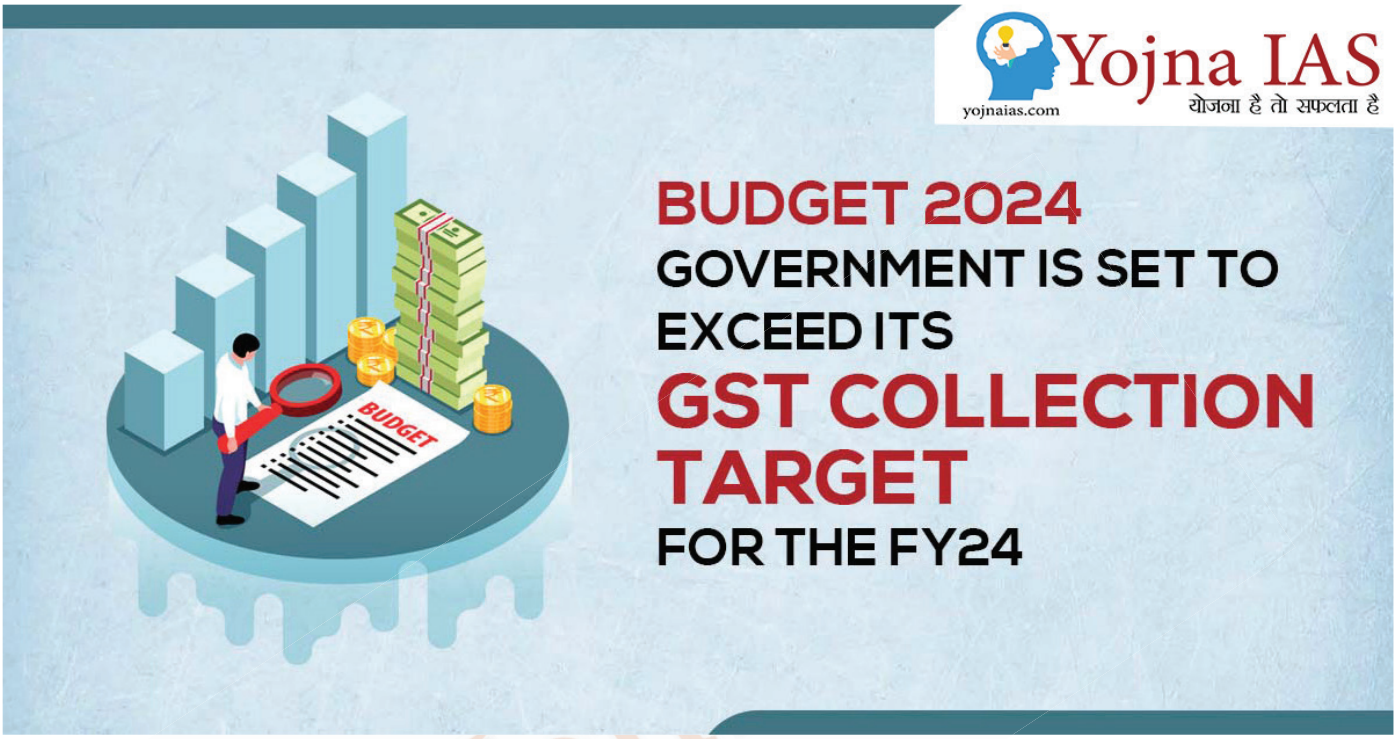

राजकोषीय घाटे के सकारात्मक पहलू :

- **सरकारी खर्च में वृद्धि :** सरकार को **सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढाँचे और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाने** में राजकोषीय घाटा सक्षम बनाता है जो आर्थिक विकास के लिए काफी सहायक साबित हो सकते हैं।
- **दीर्घकालिक निवेशों का वित्तपोषण :** राजकोषीय घाटे के माध्यम से बुनियादी **ढाँचागत परियोजनाओं** जैसे दीर्घकालिक निवेशों को सरकार वित्तपोषित कर सकती है।
- **बेरोजगारी को कम करने और रोज़गार सृजन में सहायक :** सरकारी व्यय में वृद्धि से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है और देश में रोजगार का सृजन हो सकता है, जो **बेरोजगारी को कम करने और लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने में मदद कर सकता है।**

राजकोषीय घाटे के नकारात्मक पहलू :

- **कर्ज़ का बढ़ता बोझ :** लगातार उच्च राजकोषीय घाटा **सरकारी ऋण में वृद्धि** को दर्शाता है, जो भविष्य की पीढ़ियों पर कर्ज़ चुकाने का दबाव डालता रहता है।
- **मुद्रास्फीति में दबाव उत्पन्न होना :** बड़े राजकोषीय घाटे से धन की आपूर्ति में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे **आम जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है।**
- **निजी निवेश में कमी :** सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए भारी उधार लेना पड़ सकता है, जिससे ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है और निजी क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, इस प्रकार निजी निवेश में कमी हो सकता है।

- **विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और भुगतान संतुलन पर दबाव की समस्या :** यदि कोई देश **बड़े राजकोषीय घाटे** की स्थिति से गुज़र रहा है, तो उसे विदेशी स्रोतों से उधार लेना पड़ सकता है, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है और **भुगतान संतुलन पर दबाव** पड़ सकता है।

भारत में राजकोषीय समेकन में होने वाले घाटों के विभिन्न प्रकार :

प्राथमिक घाटा : ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटे के समान ही **प्राथमिक घाटा** होता है। यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं और इसकी प्राप्तियों के बीच के अंतर को बताता है, लेकिन यह पिछले वर्षों के दौरान लिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान हेतु किये गए व्यय को ध्यान में नहीं रखता है।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान

राजस्व घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है।

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ

प्रभावी राजस्व घाटा : यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के बीच का अंतर होता है।

भारत में रंगराजन समिति द्वारा सार्वजनिक व्यय संबंधी प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का सुझाव दिया गया है।

निष्कर्ष :

- पूंजीगत व्यय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को उबारना भारत की प्राथमिकता है। बुनियादी ढाँचे में सरकारी निवेश में वृद्धि के साथ **निजी निवेश भी बढ़ेगा, आर्थिक (GDP) विकास को बढ़ावा मिलेगा, परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे के GDP अनुपात में कमी आएगी।**

- सतत दीर्घावधिक विकास के लिए बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, दोनों निजी निवेश के सुधार पर केंद्रित है। निवेश को बढ़ाकर और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता के लिए कर दरों में कटौती की आवश्यकता है। कर की दरों में वृद्धि करने की अपेक्षा राजस्व संग्रहण पर अधिक ज़ोर देने की ज़रूरत है। कर की अधिक दरें एक सीमा तक ही कर में वृद्धि करने में सक्षम हो सकती हैं जैसा कि लाफर वक्र में इंगित है कि इस सीमा के पश्चात् कर संग्रहण में कमी आने लगती है। इससे कर संग्रहण तो कम होता ही है, साथ ही निवेश में भी कमी आती है एवं उद्योग जगत भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यदि सरकार धीरे-धीरे OECD रिपोर्ट के अनुसार करों का तार्किकीकरण करती है तो इससे आने वाले समय में निवेश में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी एवं कर राजस्व में भी वृद्धि होगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा नियोजित राजस्व और व्यय उपाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. वस्तु एवं सेवा कर (GST)' कई प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किये गए विभिन्न करों की जगह लेकर यह भारत में एकल बाज़ार स्थापित करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटा' को काफी कम कर देगा और इसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और आकार में अत्यधिक वृद्धि करेगा एवं निकट भविष्य में इसे चीन से आगे निकलने में सक्षम बनाएगा।
4. कम राजकोषीय घाटा राजकोषीय प्रबंधन और सुचारू अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत होते हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 2 , 3 और 4

(C) केवल 1 और 4

(D) इनमें से सभी।

उत्तर – (C)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन की सुदृढ़ीकरण के लिए कौन से उपाय सुझाए गए हैं ? 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह चर्चा कीजिए कि बजट निर्माण के संदर्भ में, लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष किस प्रकार एक चुनौती है ?

भारत में सामाजिक – आर्थिक असमानता का विश्लेषण

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, सामाजिक न्याय, आय – असमानता, सामाजिक – आर्थिक असमानता।

खबरों में क्यों ?

- 16 जनवरी, 2023 को स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में 'सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट' शीर्षक नाम से ऑक्सफैम (Oxfam) की वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत की गई थी ।
- वार्षिक असमानता के इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 प्रतिशत अमीर लोगों के पास भारत की कुल

संपत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु :

- वर्त्तमान समय में भारत में मौजूद अरबपतियों की पूरी संपत्ति पर अगर 2 फीसदी की दर से भी एक बार संपति कर लगाया जाता है, तो इससे देश में अगले तीन साल तक कुपोषित लोगों के सुपोषण / पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपये की जरूरत को पूरा किया जा सकता है ।
- भारत की अन्य बची हुई निम्न और निम्न मध्यम वर्ग की आबादी के पास केवल 3 प्रतिशत की संपत्ति है।
- भारत के दस सबसे अमीरों पर 5 प्रतिशत की संपति कर लगाने से बच्चों को वापस स्कूल में लाने के लिए जितनी धन की जरूरत होगी उतना धन इन अमीरों के संपति कर से प्राप्त धन से पूर्ति हो सकती है |
- भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास वर्तमान में देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपति मौजूद है।
- भारत की आधी अर्थात 50% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 3% धन ही मौजूद है।
- वर्ष 2020 में जहाँ भारत में अरबपतियों की संख्या 102 थी, वहीं वर्ष 2022 में भारत में अरबपतियों की संख्या 166 हैं ।
- फिच ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.9% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है।
- मई 2023 में फिच ने भारत की वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान व्यक्त किया था।
- वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है।
- फिच के अनुसार आर्थिक वृद्धि में निवेश के मुख्य निर्धारक बना रहने की संभावना है
- भारत एक अत्यधिक विषमतापूर्ण अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत का घरेलू सर्वेक्षण उपभोग, आय और धन को व्यापक रूप से कम करके दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कोविड-19 ने इन दोषों को और गहरा कर दिया है, जिससे गहन रूप से व्याप्त आय – असमानताओं में और तेजी से वृद्धि हो रही है।
- वर्तमान अवधि में अत्यंत अमीर लोगों की संपत्ति में हुई वृद्धि की तुलना पैदल ही अपने गाँव लौटने को विवश उन लाखों प्रवासी श्रमिकों की विपदा के साथ करें तो देश में आर्थिक विषमताओं की चरम स्थिति स्पष्ट नज़र आ

जाती है।

- विश्व असमानता रिपोर्ट (2022) का नवीनतम संस्करण यह बताता है कि आय की संपूर्ण एकाग्रता पिरामिड के शीर्ष स्थान की ओर अर्थात ऊपर की ओर ही हो रही है।

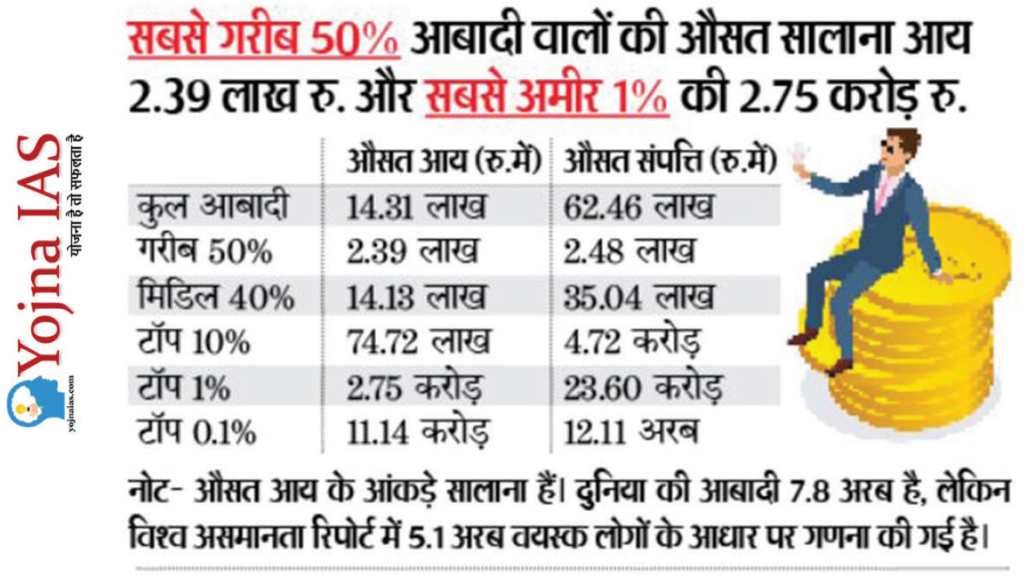

भारत में सामाजिक – आर्थिक विषमता के प्रमुख कारक :

- भारत में आय – असमानता के लिए उपभोग, आय और धन के मामले में असमानताओं के बीच केंद्रित करके देखने का प्रचलन है ।
- नौकरी प्राप्त करने में अवसरों' के मामलों में भी भारत में उच्च स्तर की असमानता मौजूद है।

अवसरों में असमानता के लिए मौजूद कारक :

- भारत में किसी व्यक्ति के उसके जन्म, जाति, घर, उसके जन्म स्थान , गृह जिला और गृह राज्य, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में आवास की उपलब्धता तथा उसके माता – पिता की दैनिक – आय और वार्षिक – आय ये तमाम-कारक उसकी रोज़गार प्राप्त करने की संभावनाओं और आय की संभावनाओं पर तथा शैक्षणिक और आर्थिक – सामाजिक स्थिति पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है तथा ये सभी कारक भारत में किसी व्यक्ति के वर्ग को तय करता हैं।
- आय – असमानताओं की सिद्धांतों में से एक सामाजिक गतिशीलता के नियम निम्न स्तर पर स्थित कमज़ोर/वंचित परिवारों में पैदा होने वाले बच्चों के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी आय की सीढ़ी पर आगे बढ़ने की संभावना बहुत ही कम होती है। जिससे भारत में आय – असमानता का फासला बढ़ता जाता है।

विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के प्रमुख निष्कर्ष :

- संपूर्ण भारत में उनकी शीर्ष की 10% जनसंख्या ही भारत की राष्ट्रीय आय का 57% तक धन को अर्जित किया हुआ है।
- दुनिया के सर्वाधिक आय – विषमतापूर्ण देशों में अब भारत शीर्ष देशों में से एक देश है।
- भारत में आय – असमानता के मामले में भारत में ही महिला श्रमिकों की आय में हिस्सेदारी 18% है जो चीन को

छोड़कर] (21) % एशिया में उनके औसत से बहुत ही कम है।

- भारत का 1% अभिजात वर्ग भारत की 22% आय को अपने पास रखा हुआ है।
- भारत के कुल राष्ट्रीय आय में से निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के पास की 50% की हिस्सेदारी घटकर अब मात्र 13% ही रह गई है। जो भारत में आय – असमानता के वर्गीय चरित्र को दर्शाता है।
- कोविड ने श्रम बाज़ार पर नकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव डाला है और आय असमानता में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक गतिशीलता के अवरुद्ध होने की संभावना है।कोविड ने शिक्षा में व्याप्त असमानता की स्थिति को और बदतर किया है।
- लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने और शिक्षा के ऑनलाइन मोड की ओर संक्रमण ने गरीब और अमीर परिवारों के बच्चों के बीच 'लर्निंग' अंतराल में वृद्धि किया है, इसकी पुष्टि शिक्षा पर प्रभाव ASER 2021 ने भी किया है। गरीब परिवारों में जन्मे और स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे इंटरनेट, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे अध्ययन करने और सीखने के तकनीकी माध्यमों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए।
- कोविड 19 महामारी की शुरुआत से ही भारत में श्रम बल की भागीदारी में महिला श्रमबल भागीदारी में विशेष गिरावट मापा गया है । कोविड 19 के दौरान भारत में बेरोज़गारी दर 7.5% से बढ़कर 8.6% हो गया था, जिसका तात्पर्य था कि नौकरी की तलाश करने वालों लोगों में से नौकरी पाने में असमर्थ रहे लोगों की संख्या में भरी वृद्धि हुई है।
- कैजुअलाइज़ेशन'(casualization) या 'कॉन्ट्रैक्टुअलाइज़ेशन'/संविदाकरण (contractualisation) से तात्पर्य है कि उच्च पारिश्रमिक वाली नौकरियों की कमी होना। अतः ऐसी स्थिति में अधिक – से – अधिक अनियमित या आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिक के रूप में लोगों को नियोजित किया जा रहा है।

समस्या का समाधान / निष्कर्ष :

राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक सक्षमता विकसित करना : नागरिकों में राजनीतिक सक्षमता भारत में ही नही बल्कि पूरी दुनिया में निर्धनता उन्मूलन का पहला प्रमुख घटक माना जाता है। राजनीतिक सक्षमता वाले लोग राज्य से अपने करों के भुगतान के माध्यम से बेहतर शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की माँग करके इसे प्राप्त करते हैं । इसमें किसी भी देश या समाज में आय – असमानता और सांप्रदायिक विभाजन की खाई को पाटना शामिल होता है ।

नॉर्डिक आर्थिक मॉडल को लागू करना : वर्तमान नव-उदारवादी मॉडल , नॉर्डिक आर्थिक मॉडल द्वारा धन के वर्तमान पुनर्वितरण को और अधिक न्यायसंगत बनाया जा सकता है क्योंकि इस प्रारूप में सभी नागरिकों के लिए प्रभावी कल्याणकारी सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन – व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार प्राप्त करना शामिल है। इस प्रणाली में राज्य द्वारा उच्च वर्गों या अमीरों से उच्च कर प्राप्त करना निहित होता है।

सार्वजनिक नीतियों को लागू करना : भारत में बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी बढ़ती असमानता को देखते हुए,और जनसंख्या के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकाधिक व्यापक प्रसार करने के लिए सरकारों द्वारा सार्वजनिक नीतियों को लागू करना चाहिए ।

संपति का पुनर्वितरण : विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022 अरबपतियों के लिए उनकी संपति पर एक उपयुक्त और प्रगतिशील संपत्ति कर (Progressive Wealth Tax) आरोपित या अधिरोपित करने का मार्ग प्रशस्त करने का सुझाव देती है। जो सरकारों को भारी मात्रा में राजस्व प्राप्ति का स्त्रोत हो सकता है।

गुणवत्तायुक्त सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना : किसी भी देश या समाज के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ, रोज़गार गारंटी योजनाओं जैसी सार्वजनिक वित्तपोषित उच्च गुणवत्तायुक्त सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित कर असमानता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना : सेवा क्षेत्र शहरी मध्यम वर्ग को लाभान्वित कर सकता है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देकर श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्र में उन लाखों नागरिकों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, जोकृषि या खेती से

जुड़े कार्य और उस कार्य क्षेत्र को छोड़ रहे हैं।

न्यूनतम वेतन सीमा तय कर पारिश्रमिक असमानताओं को कम करना: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अनुशंसा की है कि एक न्यूनतम वेतन सीमा इस तरह से निर्धारित की जानी चाहिये जो व्यापक आर्थिक कारकों के साथ श्रमिकों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को संतुलित करे।

दमित और वंचित नागरिक समाज समूहों को बढ़ावा देना : पारंपरिक रूप से उत्पीड़ित और दमित समूहों को अधिकाधिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना जहाँ इन समूहों के भीतर यूनियन और संघ जैसे नागरिक समाज समूहों को सक्षम करना शामिल है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करके और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं का वित्तपोषण की क्षमता बढ़ाकर इसकी पहुँच को व्यापक स्तर तक करने की जरूरत है।

महिलाओं के पूर्ण समावेशन में आने वाली बाधाओं को दूर करना और लैंगिक असमानता को दूर करना: अर्थ-व्यवस्था में महिलाओं के पूर्ण समावेशन हेतु बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। इसमें श्रम बाज़ार, संपत्ति के अधिकार और लक्षित ऋण एवं निवेश तक पहुँच प्रदान करना शामिल है। जिसमें अधिक से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर इस आय असमानता जैसी समस्या का समाधान किया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 भारत में सामाजिक – आर्थिक विषमता और आय – असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

1. वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 1 प्रतिशत अमीर लोगों के पास भारत की कुल संपत्ति का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।
2. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में 'सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट' शीर्षक नाम से ऑक्सफैम (Oxfam) की वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत की गई थी ।
3. भारत की आधी अर्थात 50% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 60% धन ही मौजूद है।
4. विश्व असमानता रिपोर्ट (2022) का नवीनतम संस्करण यह बताता है कि आय की संपूर्ण एकाग्रता पिरामिड के नीचे की ओर ही हो रही है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 2, 3 और 4

(C) केवल 3

(D) केवल 2

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में व्याप्त सामाजिक – आर्थिक असमानताओं और आय – असमानताओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए।

नरसंहार का मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – अंतर्राष्ट्रीय संबंध , अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नरसंहार, मानवाधिकार, भारत का नरसंहार के मुद्दे पर रूख ।

खबरों में क्यों ?

- 11 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा गाज़ा युद्ध में इज़राइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए दायर एक मामले में दो दिनों की कानूनी बहस शुरू की है। इज़राइल ने नरसंहार के इस आरोप को नकार दिया है और इसे बेबुनियाद आरोप बताया है।

- दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने 11 जनवरी 2024 की सुनवाई में न्यायाधीशों से इज़राइल पर बाध्यकारी प्रारंभिक आदेश देने के लिए कहा, जिसमें गाजा में इज़राइल के सैन्य अभियान को तत्काल रोकना भी शामिल था। कार्य-वाही से पहले, सैकड़ों इजरायल समर्थक प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा अभी भी बंधक बनाए गए लोगों का जिक्र करते हुए **"उन्हें घर लाओ"** के बैनर के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में इजरायली और डच झंडे थे। अदालत के बाहर, कुछ अन्य लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दक्षिण अफ्रीका के समर्थन में फिलिस्तीनी झंडा लहरा रहे थे।

- यह विवाद नरसंहार के बाद बनी एक यहूदी राज्य के रूप में इज़राइल की राष्ट्रीय पहचान पर आघात करता है। इसमें दक्षिण अफ्रीका की पहचान भी शामिल है। इसकी शासक पार्टी, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, ने लंबे समय से गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल की नीतियों की तुलना श्वेत अल्पसंख्यक शासन के रंगभेदी शासन के तहत अपने इतिहास से की है, जिसने समाप्त होने से पहले अधिकांश अश्वेतों को "होमलैंड" तक सीमित कर दिया था।

- इज़राइल ने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद शुरू किए गए अपने सैन्य अभियान का बचाव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक कानूनी टीम भेजी है। दक्षिण अफ्रीका ने तुरंत इस मामले को वर्तमान में जारी इज़राइल – हमास युद्ध के सीमित दायरे से परे इसे और विस्तारित करने की मांग की है। दक्षिण अफ्रीका के न्याय मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा- **"फिलिस्तीन और इज़राइल में हिंसा और विनाश 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ। फिलिस्तीनियों ने पिछले 76 वर्षों से व्यवस्थित उत्पीड़न और हिंसा का अनुभव किया है।"**

- दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल के सह-नेता वुसिमुज़ी मैडोनसेला ने कहा कि – **"शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका**

स्वीकार करता है कि इज़राइल राज्य द्वारा नरसंहार कार्य और चूक अनिवार्य रूप से 1948 के बाद से फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए अवैध कृत्यों की निरंतरता का हिस्सा हैं।" जबसे इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी।

- इज़रायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 10 जनवरी 2024 की रात को अपने देश के कार्यों का बचाव करते हुए एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा, **"इजरायल का गाजा पर स्थायी रूप से कब्जा करने या उसकी नागरिक आबादी को विस्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। इज़राइल फ़िलिस्तीनी आबादी से नहीं, बल्कि हमास आतंकवादियों से लड़ रहा है और हम अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुपालन में ऐसा कर रहे हैं।"** उन्होंने कहा कि- **" इज़रायली सेना नागरिक हताहतों की संख्या को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि हमास फ़िलिस्तीनी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करके उन्हें अधिकतम करने की पूरी कोशिश कर रहा है।"**

- गाजा में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों के लिए भोजन, पानी, दवा और काम करने योग्य बाथरूम ढूँढना एक दैनिक संघर्ष बन गया है। 5 जनवरी को, संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख ने गाजा को **"निर्जन"** कहा और कहा, **"लोग अब तक दर्ज किए गए उच्चतम स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं (और) अकाल निकट है।"** इज़राइल ने हमेशा अपना ध्यान 7 अक्टूबर के हमलों पर केंद्रित किया है, जब हमास के लड़ाकों ने इज़राइल में कई समुदायों पर हमला किया था और लगभग 1,200 लोगों को मार डाला था, जिनमें मुख्य रूप से नागरिक थे। उन्होंने लगभग 250 अन्य लोगों का अपहरण कर लिया, जिनमें से लगभग आधे को रिहा कर दिया गया है।

- अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 9 जनवरी को तेल अवीव की यात्रा के दौरान इस मामले को **"निराधार"** कहकर खारिज कर दिया।

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच विवादों पर निर्णय देता है, ने कभी भी किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इसने सन 2007 में फैसला सुनाया कि – "जुलाई 1995 में बोस्नियाई सर्ब बलों द्वारा सेरेब्रेनिका के बोस्नियाई एन्क्लेव में 8,000 से अधिक मुस्लिम पुरुषों और लड़कों के नरसंहार में सर्बिया ने नरसंहार को रोकने के दायित्व का उल्लंघन किया।"

- हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।

- यह मामला नरसंहार सम्मेलन के इर्द-गिर्द घूमता है जो 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तैयार किया गया था और जिस नरसंहार में छह मिलियन यहूदियों की हत्या हुई थी। इज़राइल और दक्षिण अफ्रीका दोनों इस नरसंहार सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि – **"वह चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन के लिए इज़राइल को ज़िम्मेदार ठहराए और उन उल्लंघनों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसे पूरी तरह से जवाबदेह बनाए।"**

- अंतरराष्ट्रीय न्याय निदेशक समूह के एसोसिएट बाल्कीस जर्राह ने कहा – **"दक्षिण अफ्रीका का नरसंहार मामला आगे की पीड़ा को कम करने की उम्मीद में गाजा में इज़राइल के आचरण की विश्वसनीय जांच करने के लिए दुनिया की सर्वोच्च अदालत में एक कानूनी प्रक्रिया को खोलता है।"**

- फरवरी में जब वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में इजरायली नीतियों की वैधता पर एक गैर-बाध्यकारी सलाहकार राय के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर सुनवाई शुरू हुई तो इजरायल फिर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कठघरे में आ गया है।

नरसंहार सम्मेलन (कन्वेंशन) की पृष्ठभूमि और भूमिका :

- संपूर्ण विश्व के मानवों/ मनुष्यों के जीवन जीने और उनके मौलिक अधिकारों के लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 9 दिसंबर 1948 ई. को पहली मानवाधिकार संधि के रूप में अपनाई गई संधि को नरसंहार सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।

- इस नरसंहार सम्मेलन ने पहली बार नरसंहार के अपराध को संहिताबद्ध कर नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनाया।
- इस नरसंहार सम्मेलन के अनुसार – "वैश्विक स्तर पर किसी भी देश या समाज के किसी भी धार्मिक , जातीय , नस्ल , रंग या भाषाई आधार पर किए जाने वाला मनुष्यों पर किए जाने वाला अत्याचार या नरसंहार एक अपराध है जो युद्ध के समय हो या वैश्विक शांति के समय दोनों में से कभी भी और कहीं भी हो सकता है।"
- इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक स्तर पर मनुष्यों पर हुए अत्याचारों को **' फिर कभी नहीं (Never again) '** दोहराने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता और प्रतिबद्धता को बताता है।
- इस नरसंहार सम्मेलन में नरसंहार के अपराध के संदर्भ में तय की गई परिभाषा के अनुसार इसे राष्ट्रीय और अं-तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिसमें **1998 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के रोम क़ानून भी शामिल हैं।**

- **भारत इस सम्मेलन का प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता देश है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानूनों को विकसित करने के लिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश के लिए बाध्यकारी बनाने के लिए यह राज्यों / राष्ट्रों को नरसंहार के अपराध को रोकने और उसे दंडित करने के लिए उपाय करने का दायित्व स्थापित करने का प्रावधान भी सुनिश्चित करता है।**
- **इसके संविधान के अनुच्छेद IV के अनुसार – यह राज्यों / राष्ट्रों को नरसंहार के विरुद्ध प्रासंगिक कानून बनाना और अपराधियों को दंडित करना शामिल है "चाहे वे संवैधानिक रूप से जिम्मेदार शासक हों या सार्वजनिक अधिकारी हों अथवा कोई निजी व्यक्ति ही क्यों न हों। "**
- **यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों / राष्ट्रों के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी है, भले ही उस राज्य या राष्ट्र ने नरसंहार सम्मेलन की पुष्टि की हो या नहीं की हो।**

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परिचय :

स्थापना : संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा सन 1945 के जून महीने में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसने अप्रैल 1946 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था।

- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)** संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का एक प्रमुख न्यायिक अंग है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ही संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा अंग है, जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे) अपने पूर्ववर्ती संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (पीसीआईजे) का उत्त-राधिकारी है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने वर्तमान अस्तित्व में आया है।
- **नीदरलैंड में स्थित हेग** नामक जगह के पीस पैलेस में पीसीआईजे ने अपनी पहली और उदघाटन बैठक सन 1922 ई. के फरवरी महीने में आयोजित की थी।
- पीसीआईजे और राष्ट्र संघ की जगह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे) और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ।
- सन 1946 ई. के अप्रैल महीने में पीसीआईजे को औपचारिक रूप से भंग कर आईसीजे की स्थापना की गई और इसके अंतिम अध्यक्ष, अल साल्वाडोर के न्यायाधीश जोस गुस्तावो ग्युरेरो, को ही आईसीजे का पहला अध्यक्ष बनाया गया ।
- **आधिकारिक भाषाएँ: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे) की आधिकारिक भाषाएँ केवल अंग्रेजी और फ्रेंच है।**

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे) के न्यायाधीशों की चयन – प्रक्रिया :

- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है ,** जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे) के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 सालों के लिए होता है। ये न्यायाधीश अलग-अलग, लेकिन एक साथ मतदान करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे) में न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को दोनों निकायों में बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जब तक न्यायाधीश का अंतिम रूप से चयन नहीं हो जाता , तब तक कई बार मतदान की प्रक्रिया चलती रहती है। न्यायाधीश के अंतिम रूप से चयन पर आम सहमति बनने के उपरांत ही मतदान प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव तीन साल के लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया द्वारा होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के एक तिहाई न्यायाधीशों का चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष में UNGA के वार्षिक बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के न्यायाधीश पुनः चुनाव लड़ने और चुनाव की मतदान प्रक्रिया द्वारा पुनः चयनित होने के योग्य / पात्र होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का क्षेत्राधिकार :

- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य स्वचालित रूप से आईसीजे क़ानून के पक्षकार हैं, लेकिन यह स्वचालित रूप से उनसे जुड़े विवादों पर आईसीजे को अधिकार क्षेत्र नहीं देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) को क्षेत्राधिकार तभी मिलता है जब दोनों देश या दोनों ही पक्ष इस पर सहमति देते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का निर्णय अंतिम और तकनीकी रूप से बाध्यकारी होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के पास अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है, और इसका अधिकार देशों द्वारा उनका पालन करने की इच्छा से प्राप्त होता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की भूमिका :

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की भूमिका अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, राज्यों / राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी कानूनी विवादों का निपटारा करना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा इससे संबंधित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय देना शामिल है।
- इसके तहत सबसे पहली बार मई 1947 में **यूरोपीय मुख्य भूमि पर ग्रीक द्वीप कोर्फू और अल्बानिया के बीच आयोनियन सागर की संकीर्ण जलडमरूमध्य से संबंधित विवाद के खिलाफ यूके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका समाधान** अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किया ।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रशासन:

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रशासनिक अंग, रजिस्ट्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और भारत का परस्पर संबंध :

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और भारत का सह – संबंध बहुत ही पुराना है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थापना / गठन के कुछ वर्ष बाद ही भारत के संविधान सभा के सलाहकार रहे सर बेनेगल राव सन 1952 – 53 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश थे।
- भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नागेन्द्र सिंह भी वर्ष 1973 – 88 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य रहे थे।
- सन 1989 – 91 तक भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एस पाठक भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा प्रदान की थी।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दलवीर भंडारी भी वर्ष 2012 से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के साथ भारत का ऐतिहासिक संबंध :

भारत और पाकिस्तान के बीच रहे चार विवादों को मिलाकर भारत वर्तमान समय तक कुल छह बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक पक्षकार के रूप में उपस्थित रहा है जिनमें से प्रमुख विवाद निम्नलिखित है : –

- पुर्तगाल और भारत के बीच भारतीय क्षेत्र पर मार्ग तय करने का अधिकार का विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा था, जिसका निपटारा सन 1960 ई. में करके इस विवाद को समाप्त कर लिया गया है ।
- भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीएओ परिषद के क्षेत्राधिकार से संबंधित अपील अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया गया था, जिसका निपटारा सन 1972 ई. में कर लिया गया।
- भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्वी पाकिस्तान में हुए युद्ध के फलस्वरूप पाकिस्तानी युद्धबंदियों का मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था, जिसका निपटारा सन 1973 ई. में हो गया था।
- भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 10 अगस्त 1999 की हवाई घटना भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था, जिसका समापन या निपटारा भी सन 2000 ई. में कर लिया गया।
- भारत और मार्शल आइलैंड्स के बीच परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने और परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित बातचीत का विवाद भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था, जिसका समापन सन 2016 ई. में कर दिया गया।
- भारत और पाकिस्तान के बीच भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामला भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था, जिसका समापन सन 2019 ई. में कर दिया गया।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नरसंहार सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है।
2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे) की आधिकारिक भाषाएँ केवल अंग्रेजी , स्पेनिश , जर्मन और फ्रेंच है।
3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 25 होती है।
4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव छह साल के लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया द्वारा होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1 और 4

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 3

(D) केवल 1

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. नरसंहार सम्मेलन की पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उभरती आर्थिक शक्ति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है ?

Yojna IAS
yojnaias.com